संख्या-57/2018/734/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 20 मार्च, 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 की योजनान्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठय पुस्तके उपलब्ध कराये जाने एवं छात्र एवं छात्राओं के उपयोगार्थ रजिस्टर एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1655/स0क0/ए0टी0एस0प्रकोष्ठ/2017-18 दि-08.03.2018 एवं पत्रांक-1656/स0क0/ए0टी0एस0 प्रकोष्ठ/(125) पुस्तक-क्रय/2017-18 दिनांक-08.03.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्थापित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर शैक्षणिक सत्र 2018-19 में संचालित करने के लिये प्रवेशित होने वाले छात्रों को पाठ्य पुस्तकें व तद्सम्बन्धी स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''2225-01-789-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-42-अन्य व्यय में आवश्यक पाठ्य पुस्तकों हेतु रू0-598.00 लाख व स्टेशनरी हेतु रू0-793.00 लाख अर्थात कुल रू0-1391.00 लाख (रू0 तेरह करोड़ इक्यानबे लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने के लिये राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1-उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

2-उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

3-स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

4-जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वर्ष 2017-18 में नही की जायेगी।

5-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7-उक्त धनराशि का व्यय इस सम्बन्ध म विद्यमान सुसंगत नियमों का कड़ाई से पालन करते हुये निर्धारित प्रक्रियानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-42-अन्य के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-9

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

संख्या-57/2018/734(1)/26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- निदेशक, (वित्त)/वित्त नियत्रंक, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निदेशक, एन0आई0सी0।
11- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुभाग-6 उ0प्र0शासन।
12- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र-बी0एम0-9 (पार्ट-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम :- 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) **वित्तीय वर्ष 2017-2018** **(धनराशि लाख रू0 में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-~~789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना~~-12-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित लाभार्थियों को टरशरी केयर चिकित्सा सुविधा-42-अन्य व्यय-	4228.40	848.40	848.40	848.40	3380.00
	754.36	542.60	542.60	542.60	211.76
योग	4982.76	1391.00	1391.00	1391.00	3591.76

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा नुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय- 42-अन्य व्यय-	105.20	1496.20	1391.00	1391.00	1496.20
योग	105.20	1496.20	1391.00	1391.00	1496.20

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 पैटर्न पर संचालित किये जाने हेतु अपरिहार्यता के कारण।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या-आर0ई0-458/दस-2018, दि0 16-2-18

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–57/2018/734 (1)/26–3–2018–दिनांक 20 मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग , उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7– निदेशक (वित्त)/वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
9– बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुभाग–6,उ0प्र0 शासन।
10– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।